न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः- 2/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1-बाबूलाल पिता रंगलाल तेली मृतक के वजाय
  1/1-शान्तादेवी बेबा बालुलाल तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
  1/2-पुजा पुत्री बालुलाल तेली ना0 ब0 माता जरिये संरक्षक माता शान्ता देवी पत्नि बाबूलाल तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
  1/3-प्रवीण पिता बाबूलाल तेली ना0 ब0 माता जरिये संरक्षक माता शान्ता देवी पत्नि बाबूलाल तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
  1/4-रामलाल पिता बाबूलाल तेली ना0 ब0 माता जरिये संरक्षक माता शान्ता देवी पत्नि बाबूलाल तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2-रूपलाल पिता चम्पा लाल तेली निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1-अम्बा पिता गंगाराम गाडरी निवासी रतनपुरा (टोकरा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2-बगता पिता गंगाराम गाडरी निवासी रतनपुरा (टोकरा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3-भोला पिता गंगाराम गाडरी निवासी रतनपुरा (टोकरा) तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4-जगु पिता दला गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5-गुलाव पिता अमरा गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6-बरदा पिता अमरा गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7-रामा पिता अमरा गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8-भुरा पिता उदा गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9-गुलाव पिता नन्दा गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10-छोगा पिता नन्दा गाडरी निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरीश टेलर - अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 13.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट गलबा में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलबा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 395 रकबा 0.08 है0 भुमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक मय नक्शा ट्रैस के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते हैं। और अन्य लोग हमारी उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने की चेष्ट कर चुके हैं। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना नितान्त आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार कहा किन्तु वे टालमबाजी का जबाव देते रहे हैं और पत्थरगढी नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 2/2018 प्रार्थनापत्र
बाबूलाल बनाम अम्बा वगै0

करवाई। विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 17.12.2017 को कहा तो वे इन्कार हो गये जिससे यह प्रार्थनापत्र पत्थरगढी कराने बाबत् पेश करने हेतु विवश होना पडा है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 10 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गयें हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.01.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा. दि. का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शमिल फाइल किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया जो शामिल फाइल किया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम टोकरा पटवार हल्का गलबा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 395 रकबा 0.08 है0 भुमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा